

19.06.25

पत्रावली पेश हुई । बहस पर मनन करने  
के पत्रावली का झल्लोकन करने पर प्रतिवादीगण  
का शब्द पत्र 0-7 R-11 संपादित 15। CPC स्वीकार  
योग्य नहीं होने के कारण झल्लोकन किया जाता  
है । प्रतिवादीगण के निवेदन पर कि उन्हें दंड  
भरना हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि को  
संपत्तिगत कानून हेतु अवरुद्ध दिया जावे क्योंकि  
वाद के विचाशधीन रहते इसे भूमि संपत्तिगत  
नहीं हो सकती । अतः प्रतिवादीगण का निवेदन  
स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र सर्त  
सहित किया जाता है । विस्तृत निर्णय पृथक  
से लिखा जाकर संलग्न किया गया । पत्रावली  
कंसलधुमार होकर नम्बर से कम हो । बाद  
तरतीब तकमील होकर दायित्व दफ्तर हो ।

निर्णय लिखा जाकर तुले न्यायालय  
में सुनाया गया ।

*pin*  
( दिव्या सोनी )  
RAS.